

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 09/12 (2012/00076) अपील नामान्तरण

उनवान

- 1—छवकंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—सुरजकंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

- 1—मंजुकंवर पुत्री देवीसिंह राजपुत निवासी पड़ासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
- 2—किरणकंवर पुत्री प्रवीणसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—चैनकंवर पत्नि प्रवीणसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—चमनसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—कानकंवर पत्नि कल्याणसिंह राजपुत निवासी आसपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा गंगापुर

प्रत्यर्थीगण

नामान्तरणकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.1972 ग्राम पंचायत नाथड़ियास के विरुद्ध अपील
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आसपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की मौरुषी साबिक कृषि आराजियात खाता संख्या 45 में अकित आराजी संख्या 122 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 4 रकबा 1 बिस्वा गेमुआचा, कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है जो अपीलार्थीगण के दादाजी स्व० जेतसिंहजी के नाम पर दर्ज थी जेतसिंह की मृत्यु बाद उक्त मौरुषी भूमिया अपीलार्थीगण के पिता गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हो गई। गोविन्दसिंह का उक्त भूमियो में 1/4 हिस्सा था तथा अपीलार्थीगण उस पर काबिज होकर काशत करती चली आ रही है प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 की साथ पेश है। यह है कि कॉलम संख्या 1 में अकित आराजियात अपीलार्थीगण की मौरुषी भूमिया है तथा अपीलार्थीगण गोविन्दसिंह की जायन्दा पुत्रीयां है तथा अपीलार्थीगण का वादग्रस्त मौरुषी भूमियो में जन्म से हक व हिस्सा निहित है अपीलार्थीगण अपने हक व हिस्से की भूमियो पर अपने पिता के समय से ही काबिज होकर निरन्तर काशत करती चली आ रही है। अपीलार्थीगण के पिता गोविन्दसिंह की मृत्यु सन् 1965 में होने पर ग्राम पंचायत नाथड़ियास ने नामान्तरणकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.72 को फैसल करते समय अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये वादग्रस्त भूमियो का नामान्तरण विधि विरुद्ध रूप से कल्याणसिंह एवं देवीसिंह दोनो पुत्रो के नाम पर ही दर्ज कर दिया। अपीलार्थीगण संयुक्त हिन्दु परिवार की सदस्य है तथा मृतक गोविन्दसिंह की जायन्दा पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है। अपीलार्थीगण की बहने चन्द्रकंवर, सुगनसिंह, शैलुकंवर फोट हो चुके है। अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थीगण के साथ वादग्रस्त भूमियो में बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था परन्तु बिना किसी विधिक आदेश एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा कल्याणसिंह एवं देवीसिंह के नाम पर ही नामान्तरण दर्ज किया जाना जिससे नामान्तरणकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.72 शुरु से

ही नल एण्ड वीयड है जिसमे प्रत्यर्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम आसपुर का भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे साबिक कृषि आबराजियात के नवीन नम्बर कायम किये गये जिसके अनुसार वर्तमान खाता संख्या 38 में अकिंत आराजी संख्या 5 रकबा 0.01 है0 गेमुआचा, आराजी संख्या 514 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 517 रकबा 0.34 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.55 है0 भूमियां अपीलार्थीगण की मौरूषी भूमिया है जिससे प्रत्यर्थी के साथ बराबर 1/4 हिस्सा होकर अपीलार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काशत करती चली आ रही है। यह है कि प्रवीणसिंह फोथ हो चुका है उसका नामान्तरण अभी दर्ज नहीं हुआ है जिससे प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया है इसके अलावा कोई वारीसान नहीं है। तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 के यहां भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामन्तरण संख्या 113 दिनांक 16.06.1972 को निरस्त फरमाया जाकर कॉलम संख्या 7 मे अकिंत कृषि आराजियात में अपीलार्थीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज कराए जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। साथ में दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश जो शामिल पत्रावली है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.05.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर लिखित ओर मौखिक जवाब के तहत निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजियात अपीलान्ट की मौरूषी नहीं है बल्कि रेपोडेत्स 5 की मौरूषी है ओर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं है। एवं सजरे को गलत बताया गया है। नामान्तरण करण संख्या 75 के विरुद्ध इतने वर्षों बाद अपील एवं आपत्ति करने को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस संमन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 659 व आरआरटी 2013 (1) पेज 61 पेश किया है। अपील की कलम संख्या 9 का जवाब यह है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट्स कार कोई सरोकार नहीं है, न उनका हक व अधिकार ही है अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.1972 के विरुद्ध अपील करने को कोई वैध, उचित एवं संतोषप्रद कारण भी अपील में दर्शित नहीं किया है इसलिये अपील अवधि बाधित होने से प्रथम दृष्टया ही इसी स्तर पर खारीज होने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमि अपीलार्थी की पैतृक भूमि है ओर अपीलार्थी मूल खातेदार गोविन्दसिंह की प्रथम श्रेणी की वारीस होते हुए भी मृतक की विरासत के नामान्तरण करण मे नाम दर्ज नहीं किया गया है सो अपील स्वीकार फरमाई जावे।

इसी के साथ प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि अपील में वर्णित आराजियात मुल खातेदार गोविन्दसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्से दर्ज रेकार्ड थी ओर गोविन्दसिंह के फोट होने पर नामान्तरण संख्या 113 में गोविन्दसिंह के विधिक वारिसान में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया

जबकि अपीलार्थी गोविन्दसिंह के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी बहस सुनी गई तो पाया कि अपीलार्थी को जानकारी के अभाव में नामान्तरणकरण संख्या 113 दिनांक 16.06.1972 से अपील पेश करने की अवधि को कण्डोन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तक स्वीकार योग्य पाया जाने पर अपील स्वीकार की जाना उचित है।

आदेश

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 113 दिनांक 16.06.1972 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम आसपुर में स्थित आराजी संख्या 5 रकबा 0.01 है0 गेमुआचा, आराजी संख्या 514 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 517 रकबा 0.34 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि अपीलार्थी की पैतृक भूमि होने से मृतक गोविन्दसिंह के विधिक वारीसान की अजसरेनो जांच कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही की जावें। प्रकरण काफी पुराना होने से इसे प्राथमिकता देते हुए आगामी कार्यवाही शिघ्र करे आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को भिजावें। पत्रावली फैसेल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
12-03-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

